HARI BHOOMI, Delhi, 3.8.2018
Page No. 1, Size:(8.35)cms X (10.87)cms.

आधार से चोरी नहीं हो सकती निजी जानकारी

नई दिल्ली। आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर काफी दिनों से बहस चल रही है। यूआईडीएआई ने साफ किया है कि सिर्फ आधार कार्ड नंबर शेयर करने से आपकी निजी जानकारी चोरी नहीं हो सकती है। बहुत से लोगों के मन में यह आशंका है कि अगर उनका आधार नंबर किसी को मिल गया, तो उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। आधार अथॉरिटी ने कहा कि ऐसा नहीं है। लोगों की इस आशंका को दूर करने के लिए यूआईडीएआई ने कहा है कि सिर्फ आधार नंबर प्राप्त कर कोई भी आप से धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। आधार से जुड़े वित्तीय लेन-देन के लिए वेरीफिकेशन करना होता है। वेरीफिकेशन की खातिर आपका बायोमैट्रिक या मोबाइल ओटीपी की जरूरत होती है। जब तक किसी के पास आपके आधार नंबर के साथ आपका मोबाइल ओटीपी या फिर बायोमैट्रिक नहीं होता है, तब तक वह उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हाल ही में टेलीकॉम रेग्युलेटर आरएस शर्मा के ट्विटर पर अपना आधार नंबर शेयर करने के बाद कई और लोगों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया था। इसको देखते हुए यूआईडीएआई ने कहा है कि लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर किसी भी सोशल वेबसाइट पर शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर की तरह ही एक संवेदनशील जानकारी होती है, जिसे आप बेवजह सार्वजनिक स्थानों पर शेयर नहीं करते।